तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	पत्रावली का सरसरी तौर पर अवलोकन, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व अधिवक्ता प्रार्थीगण की एकतरफा बहस से प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होते है। अतः जरिये अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण संख्या 1 को पाबंद किया जाता है कि वह स्वयं या अन्य किसी माध्यम से या अन्य किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण के हिस्से की भूमि ख. नं. 384 रकबा 1.90 है0 वाके ग्राम स्यालासुखपुरा पटवार हल्का चारनेट तहसील नगरफोर्ट जिला टोंक में प्रार्थीगण के कब्जे–काश्त, उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करे तथा उक्त भूमि को किसी भी प्रकार से रहन, दान, बेचान अर्थात हस्तान्तरण नहीं करे। राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जारी हो। पत्रावली दिनांक 07.09.2022 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	
7/9/22	PO या ... / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे ... 28/9 को पेश हो	
28/9/22	पी.ओ. या अवकाश / राज कार्य से / दौरे पर बाहर / टोंक पधारे ... 7/10/22 को पेश हो।	
7/10/22	अधि. उभय पक्ष द्वारा पत्रावली बाबते पक्ष विचारार्थ 21/10/22 को पेश की	उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)
18/10/2022	उभयपक्ष पक्षकारानकी तरफ से प्रार्थना पत्र रामीनामा बाद में पेश करने हेतु पेश किया पत्रावली आदि उभयपक्ष की प्रार्थना पर तलब की गई। पत्रावली पर वादीगण ... संख्याता ने हस्ताक्षर किये। आदि प्रार्थी ने आदेशिका पर Not Press लिखकर आदि प्रार्थी ने लिखा कि अन्यायी निषेधाज्ञा कार्यवाही नहीं चाहते हैं लिखा, हस्ताक्षर किये अतः आदि प्रार्थी व प्रार्थीगण की प्रार्थना पर पत्रावली Not Press से खारिज की जाती है पत्रावली फैसल शुमार होकर नस्ती से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	तोलाराम रघुनन्दन शेर खाँ Advocate बिमला अचला Not Press